## CERTIFICATE OF RECOGNITION

DISTRICT COUCATION OFFICE HEADQUARTER SECONDARY, KOTA

(Name & Address of the issuing authority)

No.	32	3-	3	2	4	
-----	----	----	---	---	---	--

Date: 22/8/2:23

То
SHIN TYOTI CONVENT SCHOOL SHRINATHPURAM-D KOTA
SHRINATHPURAM-D KOTA
(Name & Address of the school)
Sir/ Madam,
Sub: Recognition Certificate for the school under RULE 2011 RVLE-8-KA, SUBBULE (H) (Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).
Ref:
With reference to your application dated
The above recognition is subject to the following conditions:-
- was a second to the paper is valid from the academic year

- The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
- 4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of ..... (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
- 5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

Principal
Shiv Jyoti Convent School
Shrinathpuram-D, Kota

Secretary
Shiv Jyoti Bal Vidhy

- 6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or quardian to any screening procedure.
- 7. The school shall not deny admission to any child,
  - a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
  - b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
- 8. The school shall ensure that,-
- a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
  - b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
  - c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
  - d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the ...... (rule/ clause of State Act).

  - f. The teachers perform his duties specified under ...... (rule/ clause of the state Act).
- The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
- 10. The school shall maintain the standards and norms as specified in ...... (rule/ clause of the state Act).
- 11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
- 12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
- 13. The school is run by a society registered under the han secreties Registration and the Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
- 14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
- 15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
- 16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
- 17. ......(language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under ......(concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

Shiv Jyoti Convent School Shrinathpuram-D, Kota

Secretary
Shiv Jyoti Bal Vidby
Niketan Shiksha Saraka

18. The school shall abided by the provisions of the ...... (State Act/ Rules).

19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.

20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or

administration by the authorities.

21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this DISTRICT EDV. CATION! (Name & Address of the certificate issuing authority).

OFFICE HENDOUARTER SECONDARY (PAT-)

22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall

administration of the school.

23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule

or the conditions of recognition are found and proved.

24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the .......................(Concerned State Authority).

Seal & Signature of issuing authority

Name & Address of issuing authorities?

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Principal
Shiv Jyoti Convent School
Shrinathpuram-D, Kota

Shiv Jyoti Bal Vidhyo Niketan Shiksha Sambi

विद्यालय - SHIV JYOTI CONVENT SCHOOL (P63083)

आवेदन क्रमांक : 29335

मान्यता कोड : RJKOT28127

प्रारूप-2

## कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी KOTA , राजस्थान

क्रमांकः 10437

दिनांक 30.05.19

सचिव

प्रबंध समिति

SHIV JYOT CONVENT SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 29335 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SHIV JYOTI CONVENT SCHOOL पता SHRINATHPURAM-D, KOTA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NN KOTA ब्लॉक KOTA को शैक्षिक सत्र 2019-20 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	; नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

- 1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
- 2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी
- समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा। 4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा 🚂 अधिकार नियम, 2011
  - के उपवंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। 5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
  - 6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

- (I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- (II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीइन का पात्र नहीं होगा;
- (III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
- (IV) प्रीरम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बातक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 🏞 नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा

Principal

Shiv Jyoti Convent School PSP(http It Secretary Portal

Shrinathpuram-D, Kota

Shiv Jyoti Bal Vidhy Niketan Shiksha Samili Page 1 of 2 30/05/2019 विद्यालय - SHIV JYOTI CONVENT SCHOOL (P.63083)

मान्यता कोड : RJKOT28127

प्रारूप-2

## कार्यालयः जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी KOTA , राजस्थान

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियंग्यिता/विशेष आवश्यकता के विदयार्थियों को सम्मिलित किया जाए:

- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए:
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं:
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
- 7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
- 8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
- 9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
  10.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
  - 11 विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अर्धिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
  - 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
  - 13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
  - 14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
  - 15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और स्चना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में बुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
  - 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
- 17. विदयालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

18. अन्य शर्ते जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी दवारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

Shiv Jyoti Convent School Shrinathpuram-D, Kota

Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya Niketan Shiksha Samiri

जिला प्रारम्भिक शिक्षा भूधिकारी (भुज्यालय) प्रारमिक, कोट

आवेदन क्रमांक : 29335